



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102023-249106
CG-DL-E-03102023-249106

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241]
No. 241]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2023/आश्विन 7, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023/ASVINA 7, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

मामला संख्या: सीवीडी (ओआई-03/2023)

विषय: चीन जन.गण. और ताइवान में मूलतः अथवा वहां से निर्यातित "डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स" के आयात के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरूआत।

फा. संख्या 6/25/2023-डीजीटीआर.—मैसर्स टेक्रोवा इमेजिंग सिस्टम (पी) लिमिटेड (जिसे बाद में 'आवेदक' के रूप में संदर्भित किया गया है) ने घरेलू उद्योग की ओर से समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 समय-समय पर संशोधित (जिसे बाद में 'नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान) के अनुसार नामित प्राधिकारी (इसके बाद 'प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। जिसमें चीन जन.गण. और ताइवान से उत्पन्न या निर्यात किया जाता है (इसके बाद 'विषय देशों' के रूप में जाना जाता है) से 'डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स' (इसके बाद 'विषय वस्तुओं' या 'विचाराधीन उत्पाद' या 'पीयूसी' या 'डीओपीपी' के रूप में संदर्भित) की सब्सिडी का आरोप लगाकर प्रतिकारी शुल्क जांच शुरू करने की मांग करते हुए रियायती वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क जांच शुरू करने की मांग की गई है।

क. सब्सिडीकरण का आरोप

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबंधित देशों में विषय वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों को विभिन्न प्रांतों और नगर पालिकाओं, जिनमें उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं और अन्य सार्वजनिक निकायों की सरकारों सहित संबंधित देशों की

सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदान की जाने वाली कार्रवाई योग्य सब्सिडी से लाभ हुआ है। आवेदक ने संबंधित कानूनों, नियमों और विनियमों और संबंधित सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक निकायों की अन्य अधिसूचनाओं पर भरोसा किया है जो सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हैं और अन्य जांच अधिकारियों के निर्धारण में जिन्होंने ऐसी योजनाओं की व्यापक जांच की थी और प्रतिपूर्ति सब्सिडी कार्यक्रमों के अस्तित्व का निष्कर्ष निकाला था।

ख. परामर्श

3. सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों (एएससीएम) पर समझौते के अनुच्छेद 13 के अनुसार, 25 सितंबर 2023 को चीन सरकार और ताइवान के अधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ पूर्व दीक्षा परामर्श आयोजित किए गए थे। संबंधित देशों के प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों की टिप्पणियों को रिकॉर्ड पर लिया गया है और जांच के दौरान इन पर विधिवत विचार किया जाएगा।

ग. सब्सिडी कार्यक्रम

4. आवेदक द्वारा प्रदान किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य से पता चलता है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों को संबंधित संबद्ध देशों की सरकारों और/या उनके संबंधित सार्वजनिक निकायों द्वारा दी गई कई सब्सिडी योजनाओं/कार्यक्रमों से लाभ हुआ है। जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है कथित सब्सिडी में धन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण और धन या देनदारियों का संभावित प्रत्यक्ष हस्तांतरण शामिल है सरकारी राजस्व जो अन्यथा देय है छोड़ दिया गया है या एकत्र नहीं किया गया है; पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान; वगैरह।

चीन जन.गण.

- I. चीन जन.गण. के संबंध में अनुदान के रूप में पहचाने गए कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची।

1. विदेश व्यापार विकास निधि अनुदान
2. प्रसिद्ध ब्रांडों और चीन विश्व के शीर्ष ब्रांडों के विकास के लिए सब्सिडी
3. स्थानीय सरकारों द्वारा पाटन रोधी या प्रतिसंतुलनकारी शुल्क कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति
4. राज्य प्रमुख प्रौद्योगिकी परियोजना निधि
5. निर्यात सहायता अनुदान
6. ब्याज भुगतान सब्सिडी
7. सुपरस्टार एंटरप्राइज़ अनुदान
8. राष्ट्रीय उच्च प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास अनुदान एवं निधि
9. नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए विशेष निधि
10. जियांग्सू प्रांत का सूज़ौ औद्योगिक पार्क हरित विकास के लिए विशेष निधि
11. वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए अनहुइ फंड
12. जियांग्सू प्रांत द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान

- II. चीन पीआर के संबंध में कर और वैट प्रोत्साहन के रूप में पहचाने गए कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची

13. सिनर्जिस्टिक यूटिलाइजेशन से संसाधन उत्पादों के लिए एंटरप्राइज़ इनकम टैक्स (ईआईटी) विशेषाधिकार
14. FIE के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र तरजीही कर नीतियां
15. प्रोत्साहित उद्योगों में आयातित उपकरणों पर आयात शुल्क और मूल्य वर्धित कर छूट
16. सहक्रियात्मक संसाधन उपयोग से उत्पन्न उत्पादों के लिए वैट में कटौती/छूट
17. उच्च और नई प्रौद्योगिकी उद्यम के लिए उद्यम आयकर ('ईआईटी') में कटौती
18. अनुसंधान और विकास व्यय की अधिमान्य पूर्व-कर कटौती

19. हाई-टेक विकास और उत्पादन के लिए हाई-टेक उद्यमों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उपकरणों का त्वरित मूल्यहास
 20. योग्य निवासी उद्यमों के बीच लाभांश छूट
 21. घरेलू स्तर पर उत्पादित उपकरणों पर वैट छूट
 22. घरेलू स्तर पर निर्मित उपकरणों की खरीद के लिए आयकर क्रेडिट
 23. विशेष उपकरण की खरीद के संबंध में टैक्स क्रेडिट
 24. स्वच्छ विकास तंत्र के लिए अधिमान्य कर नीतियां
 25. एसईजेड और शंघाई के पुडोंग नए क्षेत्र में स्थापित उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां
- III. चीन जन. गण. के संबंध में पर्याप्त से कम पारिश्रमिक (एलटीएआर) के रूप में पहचाने गए कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची।
26. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि उपयोग का अधिकार
 27. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर बिजली का प्रावधान
 28. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कोयला, स्टीम कोयला और कोकिंग कोयला का प्रावधान
 29. निर्यातक विक्रेता क्रेडिट कार्यक्रम
 30. निर्यातक क्रेता ऋण कार्यक्रम
 31. निर्यात ऋण बीमा
 32. प्रमुख परियोजनाओं और प्रौद्योगिकियों/माननीय उद्यमों के लिए अधिमान्य ऋण
 33. एसओई के लिए अधिमान्य ऋण
 34. एलटीएआर पर प्राथमिक एल्युमीनियम का प्रावधान

ताइवान

- I. ताइवान के संबंध में कर प्रोत्साहन के रूप में पहचाने गए कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची
 1. अनुसंधान और विकास व्यय के लिए आयकर क्रेडिट
 2. इन-ज़ोन उद्यमों के लिए शुल्क और कर छूट
 3. उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए शुल्क और कर छूट
 4. नए उभरते, महत्वपूर्ण और रणनीतिक उद्योगों में निवेश के लिए शेयरधारक का निवेश टैक्स क्रेडिट
- II. ताइवान के संबंध में अनुदान के रूप में पहचाने गए कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची
 5. कुछ गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान
 6. अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान
 7. उद्यमों के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम
 8. राष्ट्रीय विकास निधि के माध्यम से वित्तीय सहायता
 9. नई उत्कृष्ट परियोजनाओं के विकास के लिए अनुदान
 10. उत्कृष्ट प्रदर्शन चाहने वाले उद्यमों के लिए स्व-मूल्यांकन सेवा
 11. पारंपरिक उद्योग प्रौद्योगिकी विकास निधि
- III. ताइवान के संबंध में पर्याप्त से कम पारिश्रमिक (एलटीएआर) के रूप में पहचाने गए कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची
 12. औद्योगिक पार्कों में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए सब्सिडी
 13. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि का प्रावधान

5. यह आरोप लगाया गया है कि उपर्युक्त योजनाएं सब्सिडी हैं क्योंकि इनमें संबंधित विषय देशों की सरकारों या सार्वजनिक निकायों सहित ऐसे संबंधित देशों की अन्य क्षेत्रीय या स्थानीय सरकारों का वित्तीय योगदान शामिल है और प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान किया जाता है। यह भी आरोप लगाया जाता है कि ये कुछ उद्यमों या उद्यमों के समूहों और/या उत्पादों और/या क्षेत्रों तक सीमित हैं और इसलिए विशिष्ट और प्रतिसंतुलन योग्य हैं। कुछ मामलों में ये आयातित वस्तुओं की तुलना में घरेलू वस्तुओं के उपयोग और/या निर्यात प्रदर्शन पर निर्भर होने का भी आरोप लगाया गया है।
6. निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास अन्य सब्सिडी की जांच करने का अधिकार सुरक्षित है, जो जांच के दौरान संबंधित वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा मौजूद और प्राप्त की जा सकती हैं।

घ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप

7. आवेदक ने नियमों के तहत निर्धारित घरेलू उद्योग को 'क्षति' से संबंधित विभिन्न मापदंडों पर जानकारी प्रस्तुत की है। आवेदक द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से कथित सब्सिडी वाले आयात के कारण हुई है।

ड जांच की शुरुआत

8. प्राधिकरण ने पाया है कि विषयगत देशों में विषय वस्तु के उत्पादन और/या निर्यात पर प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी के अस्तित्व के प्रथम दृष्टया सबूत हैं और ऐसे सब्सिडी वाले आयात अपने मात्रा और मूल्य प्रभावों के माध्यम से घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा घरेलू उद्योग द्वारा सब्सिडी वाले आयात के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति के खतरे का भी आरोप लगाया गया है।
9. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण प्रतिकारी शुल्क नियमों के नियम 6 के संदर्भ में कथित सब्सिडी और परिणामी सामग्री क्षति और घरेलू उद्योग को चोट के खतरे की जांच शुरू करता है, ताकि कथित के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके। सब्सिडी देना और प्रतिकारी शुल्क की राशि की सिफारिश करना, जो यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

च. घरेलू उद्योग

10. आवेदन मेसर्स टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम (पी) लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक कथित सहायता प्राप्त की गयी विषय वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित नहीं है। हालाँकि आवेदक ने अपनी दो विनिर्माण इकाइयों के नियमित रखरखाव बंद होने के कारण संबद्ध और गैर-विषय देशों दोनों से नगण्य मात्रा में संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि जांच अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए आयात संबद्ध वस्तुओं के उनके उत्पादन की तुलना में बहुत कम थे। चूंकि आवेदक का उत्पादन भारत में विषय वस्तु के कुल उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है, आवेदक स्थिति को पूरा करता है और प्रतिकारी शुल्क नियमों के अर्थ के तहत घरेलू उद्योग का गठन करता है।

छ. विचाराधीन उत्पाद

11. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद 'डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स' है।
12. पीयूसी को आमतौर पर "डिजिटल प्लेट्स" कहा जाता है। डिजिटल प्लेटों का उपयोग प्रिंटिंग उद्योग में डेटा को एक छवि (डॉट पैटर्न या टेक्स्ट) के रूप में कागज पर या गैर-अवशोषक सबस्ट्रेट जैसे टिन शीट या पॉली फिल्म इत्यादि पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स का उपयोग करके प्रिंटिंग प्रक्रिया में, डिजिटल वर्कफ्लो एनालॉग वर्कफ्लो के विपरीत, जिसमें छवि को स्थानांतरित करने के लिए एक मध्यस्थ फिल्म की आवश्यकता होती है, लेजर का उपयोग करके छवि को 'कंप्यूटर से प्लेट' (सीटीपी) में सीधे स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है।
13. डिजिटल प्लेटें रासायनिक कोटिंग से लेपित उच्च शुद्धता वाले लिथो-ग्रेड एल्यूमीनियम कॉइल से बनाई जाती हैं। डिजिटल प्लेटें या तो सकारात्मक हो सकती हैं (गैर-उजागर क्षेत्र छवि बनाता है) या नकारात्मक (उजागर क्षेत्र छवि बनाता है) कार्यशील प्लेटें। प्लेट विकास प्रक्रिया में रसायनों के कम उपयोग से डिजिटल प्लेटों के प्रदर्शन में भी सुधार किया जा सकता है, जिससे यह पर्यावरण-अनुकूल बन जाता है, जिसे डिजिटल ऑफसेट "केम-फ्री" / "ग्रीन प्लेट्स" के रूप में भी जाना जाता है। इसी प्रकार, डिजिटल प्लेटों के प्रदर्शन में भी सुधार किया जा सकता है ताकि उन्हें प्रक्रिया रहित प्लेट बनाया जा सके।

14. कोटिंग घटक जिन्हें 'सेंसिटाइज़र' भी कहा जाता है विभिन्न प्रकार की प्लेटों के लिए अलग-अलग होते हैं। कोटिंग घटकों और लेजर प्रकार के प्लेट सेटर्स के आधार पर डिजिटल प्लेटों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे थर्मल, वायलेट और सीटीसीपी/यूवी सीटीपी ('कंप्यूटर से पारंपरिक प्लेट')।
- (i) डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स जो इन्फ्रा-रेड ऊर्जा का उपयोग करके उजागर की जाती हैं, उन्हें थर्मल प्लेट्स कहा जाता है;
- (ii) डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटें जो दृश्यमान और निकट-दृश्यमान प्रकाश ऊर्जा (बैंगनी लेजर) का उपयोग करके उजागर की जाती हैं, उन्हें वायलेट प्लेट कहा जाता है; और
- (iii) डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटें जो पराबैंगनी किरणों का उपयोग करके उजागर की जाती हैं, उन्हें CtCP/UV CtP प्लेट्स के रूप में जाना जाता है।
15. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में सभी आयामों में सभी प्रकार की डिजिटल प्लेटें शामिल हैं। विषय वस्तु अधिनियम के टैरिफ उप-शीर्षक '8442.50' के अंतर्गत आती है। हालाँकि, अन्य शीर्षकों जैसे 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190 और 7606.9290 के तहत भी संबद्ध वस्तुओं का आयात हुआ है। इसलिए सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और उत्पाद की पहचान के लिए उत्पाद विवरण मान्य होगा।
16. वर्तमान जांच के पक्षकार पीयूसी पर अपनी टिप्पणियाँ प्रदान कर सकते हैं और प्राधिकरण के समक्ष दायर दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के संचलन के 15 दिनों के भीतर पीसीएन यदि कोई हो का प्रस्ताव कर सकते हैं, जैसा कि इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 25 में दर्शाया गया है।

ज. समान वस्तु

17. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा उत्पादित विषय वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित विषय वस्तु एक समान वस्तु हैं। संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं और आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित और विषयगत देशों से आयातित डिजिटल प्लेटें आवश्यक उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का परस्पर उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और इसलिए इन्हें नियमों के तहत 'समान वस्तु' के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवेदक द्वारा उत्पादित विषय वस्तु को विषयगत देशों से आयात किए जा रहे विषय वस्तु के समान वस्तु के रूप में माना जा रहा है।

18. झ. शामिल देश

वर्तमान प्रतिकारी शुल्क जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. और ताइवान हैं।

ज. जांच की अवधि

19. वर्तमान जांच के लिए प्रस्तावित जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2022 से मार्च 2023 (12 महीने) तक है। जांच के लिए प्रस्तावित क्षति अवधि 1 अप्रैल 2019 - 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022 और पीओआई है।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

20. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पतों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
21. संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं, जो विषय वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित फॉर्म और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

22. कोई अन्य इच्छुक पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से इस दीक्षा अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संबंधित एक प्रस्तुति दे सकता है।
23. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पक्षों को इसका एक गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।
24. इच्छुक पार्टियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें और जानकारी के साथ-साथ आगे की जाँच पड़ताल प्रक्रियाओं से अवगत रहें।

ठ. समय सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in तथा adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को एक प्रति के साथ प्राधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण को परिचालित किए जाने अथवा सीवीडी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी सीवीडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
26. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) बताएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।
27. जहां कोई इच्छुक पक्ष प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है, उसे सीवीडी नियम, 1995 के नियम 7(4) के संदर्भ में ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. जहां वर्तमान में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उसे सीवीडी नियमावली के नियम 8 के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी की गई संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
29. ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।
30. गोपनीय संस्करण में वे सभी जानकारी शामिल होंगी, जो प्रकृति से, गोपनीय और / या अन्य जानकारी है, जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय के रूप में दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जिसे प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।
31. इच्छुक पक्षों द्वारा दायर की गई जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त की गई हो (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और ऐसी जानकारी को उस जानकारी के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेप में किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।
32. गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के सार की उचित समझ हो सके। हालांकि असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह संकेत दे सकता है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है और नियम 1995 के नियम 8 के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण वाले कारणों का एक बयान, और प्राधिकरण द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस, कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।
33. इच्छुक पक्ष इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 25 में दर्शाए गए दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

34. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना किया गया कोई अनुरोध या सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीय दावे संबंधी किसी अनुरोध को पर्याप्त और पूरे कारणों के विवरण के बिना प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
35. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक है या यदि जानकारी का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।
36. प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को संतुष्ट होने और स्वीकार करने पर प्राधिकारी ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी भी पक्ष को इसका खुलासा नहीं करेगा।
37. पंजीकृत इच्छुक दलों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी जिसमें उन सभी को अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण और अन्य जानकारी को अन्य सभी इच्छुक पक्षों को ईमेल करें।

द. असहयोग

38. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस प्रारंभिक अधिसूचना में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उचित अवधि के भीतर या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या बाद में अलग-अलग संचार के माध्यम से प्रदान की गई समय अवधि में आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकरण ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है। जैसा कि यह उचित लगता है।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

Initiation Notification

New Delhi, 29th September, 2023

Case No. CVD (OI) - 03/2023

Subject: Initiation of countervailing duty investigation concerning imports of “Digital Offset Printing Plates” originating in or exported from China PR and Taiwan.

F. No. 6/25/2023-DGTR.—M/s Technova Imaging System (P) Ltd. (hereinafter referred to as the ‘applicant’), has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), on behalf of domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’), seeking initiation of countervailing duty investigation by alleging subsidization of ‘Digital Offset Printing Plates’ (hereinafter referred to as the ‘subject goods’ or the ‘product under consideration’ or the ‘PUC’ or ‘DOPP’), originating in or exported from China PR and Taiwan (hereinafter referred to as the ‘subject countries’).

A. Allegation of Subsidization

2. The applicant has alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject countries have benefitted from the actionable subsidies provided at various levels by the governments of the subject countries, including the governments of different provinces and municipalities in which producers/exporters are located, and other ‘public bodies’. The applicant has relied upon the relevant Laws, Rules and Regulations, and other Notifications of the relevant government agencies and public bodies as available in the public domain and in the determination of other investigating authorities who had conducted comprehensive investigations of such schemes and concluded the existence of countervailable subsidy programs.

B. Consultation

3. In terms of Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) pre-initiation consultations were held on 25th September 2023 with the representatives of the Government of China, and

Taiwan authorities. The comments of representatives of the authorities of the subject countries have been taken on record and the same will be duly taken into consideration during the course of the investigation.

C. Subsidy Programs

4. The *prima facie* evidence provided by the applicant shows that the producers and exporters of the subject goods in the subject countries have benefitted from a number of subsidy schemes/programs, granted by the governments of respective subject countries and/or their respective public bodies as listed below. The alleged subsidies consist of direct transfer of funds and potential direct transfer of funds or liabilities; Government revenue that is otherwise due is foregone or not collected; provision of goods and services for less than adequate remuneration; etc.

CHINA PR

I. List of programs/schemes identified in the form of Grants in respect of China PR.

1. Foreign Trade Development Fund Grant
2. Subsidies for Development of Famous Brands and China World Top Brands
3. Reimbursement of Anti-dumping or CVD Legal Expenses by Local governments
4. State Key Technology Project Fund
5. Export Assistance Grant
6. Interest Payment Subsidies
7. Superstar Enterprise Grant
8. National High Technology Research and Development Grant and Fund
9. Special Fund for the Development of Renewable Energies
10. Suzhou Industrial Park of Jiangsu Province Special Fund for Green Development
11. Anhui Fund for Air Pollution Control
12. Direct Government Grants given by Jiangsu Province

II. List of programs/schemes identified in the form of Tax and VAT incentives in respect of China PR.

13. Enterprise Income Tax (EIT) privileges for Resource Products from Synergistic Utilisation
14. Special Economic Zones preferential tax policies for FIE
15. Import Tariff and Value-Added Tax Exemptions on Imported Equipment in Encouraged Industries
16. VAT reduction/exemption for products generated from synergistic Resource Utilisation
17. Enterprise Income Tax ('EIT') reduction for High and New Technology Enterprise
18. Preferential Pre-Tax Deduction of Research and Development Expenses
19. Accelerated Depreciation of Instruments and Equipment used by High-Tech Enterprises for High-Tech Development and Production
20. Dividend Exemption between Qualified Resident Enterprises
21. VAT Rebates on Domestically-Produced Equipment
22. Income Tax Credit for the Purchase of Domestically Manufactured Equipment
23. Tax credit Concerning the Purchase of Special Equipment
24. Preferential Tax Policies for Clean Development Mechanism
25. Preferential Tax Policies for Enterprises established in SEZ and Pudong New Area of Shanghai

III. List of programs/schemes identified in the form of Less than adequate remuneration (LTAR) in respect of China PR.

26. Land Use Rights at Less Than Adequate Remuneration
27. Provision of Power at Less Than Adequate Remuneration
28. Provision of Coal, Steam Coal and Coking Coal at Less Than Adequate Remuneration

29. Exporter Seller's Credit Program
30. Exporter Buyer's Credit Program
31. Export Credit Insurance
32. Preferential Loans for Key Projects and Technologies / Honorable Enterprises
33. Preferential Loans for SOEs
34. Provision of Primary Aluminum at LTAR

TAIWAN

I. List of programs/schemes identified in the form of Tax incentives in respect of Taiwan

1. Income Tax Credit for Research and Development Expenses
2. Duty and Tax Exemptions for In-Zone Enterprises
3. Duty and Tax Exemptions for High Technology Industries
4. Shareholder's Investment Tax Credit for Investment in Newly Emerging, Important and Strategic Industries

II. List of programs/schemes identified in the form of Grants in respect of Taiwan

5. Grants to Promote Certain Activities
6. Grants to Promote International Brands
7. Technology Development Programme for Enterprises
8. Financial Assistance Through the National Development Fund
9. Grants for Development of New Outstanding Projects
10. Self-Evaluation Service for Enterprises Seeking Excellent Performance
11. Conventional Industry Technology Development Fund

III. List of programs/schemes identified in the form of Less than adequate remuneration (LTAR) in respect of Taiwan

12. Subsidies For Companies That Invest in Industrial Parks
13. Provision of Land at Less Than Adequate Remuneration

5. It has been alleged that the above-mentioned schemes are subsidies since these involve a financial contribution from the governments of the respective subject countries or other regional or local governments of such respective countries, including public bodies and confer a benefit on the recipient (s). These are also alleged to be limited to certain enterprises or groups of enterprises and/or products and/or regions and therefore specific and countervailable. These are also in some cases alleged to be contingent upon the use of domestic over imported goods and/or contingent upon export performance.
6. The Designated Authority reserves the right to investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers and exporters of the subject goods, during the course of the investigation.

D. Allegation of Injury and Causal Link

7. The applicant has furnished the information on various parameters relating to 'injury' to the domestic industry as prescribed under the Rules. The evidence provided by the applicant *prima facie* shows injury to the domestic industry that has been caused by the alleged subsidized imports from the subject countries.

E. Initiation of the Investigation

8. The Authority finds that there is *prima facie* evidence of the existence of countervailable subsidies on production and/or export of the subject goods in the subject countries and such subsidized imports are causing material injury to the domestic industry through their volume and price effects. Further, the threat of material injury to the domestic industry on account of subsidized imports has also been alleged by the domestic industry.
9. In view of the above position, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged subsidization and consequent material injury and threat of injury to the domestic industry in terms of Rule 6 of the CVD Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged subsidization and to recommend the amount of countervailing duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

F. Domestic Industry

10. The application has been filed by M/s Technova Imaging System (P) Ltd. The applicant is not related to the exporters or importers of the alleged subsidized article. However, the applicant has imported insignificant quantities of the subject goods from both the subject as well as the non-subject countries owing to the reason of regular maintenance shutdowns of two of its manufacturing units. The applicant has certified that the imports made by them during the POI were miniscule as compared to their production of the subject goods. Since the production of the applicant accounts for a major proportion in the total production of the subject goods in India, the applicant satisfies the standing and constitutes domestic industry within the meaning of the CVD Rules.

G. Product under Consideration

11. The product under consideration in the present application is 'Digital Offset Printing Plates'.
12. The PUC is commonly referred to as "Digital Plates". Digital Plates are used in the printing industry for transferring data as an image (dot patterns or text) onto paper or on non-absorbent substrates like tin sheets or poly films, etc. In the printing process using Digital Offset Printing Plates, the digital workflow enables direct transfer of the image from a 'computer to the plate' (CtP) using lasers, unlike the analog workflow that requires an intermediary film to transfer the image.
13. Digital Plates are made from high-purity litho-grade aluminium coils coated with a chemical coating. Digital Plates may be either positive (non-exposed area forms image) or negative (exposed area forms image) working plates. The performance of Digital Plates may also be improved with less use of chemicals in the plate development process making it environment-friendly, also known as Digital Offset "chem-free"/ "green plates". Similarly, the performance of Digital Plates may also be improved to make them processless plates.
14. The coating components, also known as 'sensitizers', vary for different types of plates. Based on the coating components and laser type of plate setters, the Digital Plates may be broadly classified into three categories namely Thermal, Violet, and CtCP/UV CtP ('Computer to-Conventional Plate').
- (i) Digital Offset Printing Plates that are exposed using infra-red energy are called Thermal plates;
 - (ii) Digital Offset Printing Plates that are exposed using visible and near-visible light energy (violet lasers) are called Violet plates; and
 - (iii) Digital Offset Printing Plates that are exposed using ultra-violet rays are known as CtCP/UV CtP plates.
15. All types of Digital Plates in all dimensions are covered within the scope of the product under consideration. The subject goods fall under tariff sub-heading '8442.50' of the Act. However, there have been imports of the subject goods under other headings such as 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190, and 7606.9290 as well. Customs classifications are therefore indicative only and the product description would prevail for identifying the product.
16. The parties to the present investigation may provide their comments on the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days of circulation of the non-confidential version of the documents filed before the Authority as indicated in paragraph 25 of this initiation notification.

H. Like Article

17. The applicant has submitted that the subject goods produced by them and the subject goods imported from the subject countries are like articles. There is no known difference between the subject goods exported from the subject countries and those produced by the applicant. Digital Plates produced by the applicant and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification. Consumers can use and have been using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as 'like article' to the subject goods being imported from the subject countries.

I. Countries Involved

18. The subject countries in the present countervailing duty investigation are China PR and Taiwan.

J. Period of Investigation

19. The period of investigation (POI) proposed for the present investigation is from April 2022 to March 2023 (12 months). The injury period proposed to be examined is 1st April 2019 - 31st March 2020, 1st April 2020 - 31st March 2021, 1st April 2021 - 31st March 2022, and the POI.

K. Submission of Information

20. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dd11-dgtr@gov.in and ddl6-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
21. The known producers/exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through its Embassies in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
22. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
23. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
24. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

L. Time Limit

25. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address dd11-dgtr@gov.in and ddl6-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 7(4) of the CVD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.
26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
27. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 7(4) of the CVD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

M. Submission of Information on Confidential Basis

28. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 8 of the CVD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
29. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
30. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
31. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

32. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
33. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents filed before the Authority as indicated in paragraph 25 of this initiation notification.
34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
36. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.
37. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions and other information to all other interested parties.

N. Non-Cooperation

38. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequently time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority